मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–परिपत्र संख्या– ७५/2018 दिनांकः लखनऊः फरवरी 15, 2018

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

विषयः विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित अभियोगों के गवाहों की सुरक्षा के सम्बन्ध में।

जनपद मेरठ में हाल ही में गवाह/पैरोकारों की हत्या की घटना घटित हुई है। यह स्थिति स्थानीय स्तर पर पुलिस की कार्य प्रणाली पर गम्भीर प्रश्नचिन्ह लगा रही है। इस प्रकार की घटनायें पूर्व में भी घटित हो चुकी हैं।

वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत जनपद स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है –

1. जघन्य प्रकरणों में आरोप पत्र प्रेषित होने के उपरान्त शीघ्रातिशीघ्र वादों को सेशन न्यायालय में सत्र सुपुर्दगी (Commit) कराने की कार्यवाही तत्परता से की जाये। इससे आरोपी पक्ष की ट्रायल को विलम्बित करने की मानसिकता पर प्रभावी अंकुश लग सकेगा। साथ ही पीड़ित पक्ष को समझौते हेतु पड़ रहे अनावश्यक दबाव से भी मुक्ति मिल सकेगी।
2. थाने स्तर पर बनाये गये काज लिस्ट रजिस्टर/पैरवी रजिस्टर इत्यादि को अद्यतन करा लिया जाये।
3. सम्बन्धित अधिकारीगण थाने के पैरोकारों एवं आवश्यकतानुसार अभियोजन अधिकारियों से सम्पर्क कर ऐसे सेशन परीक्षण (Sessions Trial) मुकदमों की सूची तैयार की जाये, जहॉ गवाह पक्षद्रोही नहीं हुए हैं या अभियोजन के कथानक से विरत न हुए हों एवं उनकी गवाही शेष हो।
4. जघन्य अपराधों से सम्बन्धित ऐसे अभियोगों को चिन्हित करके उनके गवाहों की सुरक्षा के लिये जनपद/थानास्तर पर व्यापक रणनीति बनायी जानी चाहिए। जब तक ऐसे मुकदमों में इनकी गवाही न हो जाये, तब तक उनकी सुरक्षा के विशेष प्रबन्धों का सतत् अनुश्रवण किया जाये।
5. थानाध्यक्ष व क्षेत्राधिकारी स्तर पर ऐसे महत्वपूर्ण मुकदमों के प्रत्येक दिवस की कार्यवाही एवं अग्रेतर तिथि का विवरण रखा जाये।
6. जनपदीय प्रभारी से अपेक्षित है कि वे उपरोक्त निर्देशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे एवं विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत महत्वपूर्ण वादों में दिन प्रतिदिन सुनवायी हेतु मानिटरिंग सेल में जनपद न्यायाधीश से अनुरोध भी करेंगे।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अन्तर्गत उक्तानुसार आपराधिक वादों की सूची को अद्यावधिक थाने स्तर पर करा लें एवं प्राथमिकतानुसार गवाहों/पैरोकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये।

जोनल अपर पुलिस महानिदेशक एवं परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक सतत् पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे ।

15/2/18

(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र लखनऊ को उक्त सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1—समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2—समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।